रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-23/2024/274/22-2-2024-17(76)/2024
लखनऊ: दिनांक: 08 फरवरी, 2024

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी गजराज उर्फ हज्जी (बन्दी संख्या-26182) पुत्र स्व0 सुन्दरलाल, निवासी-सेल्हपुर, थाना-भोगनीपुर, जनपद-कानपुर देहात, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-217/1980 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नान मेट्रोपोलैटियन एरिया, कानपुर के आदेश दिनांक 23.03.1982 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया तथा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 04.05.2012 उक्त सजा को यथावत रखा गया है, बंदी की 74 वर्ष की आयु, संतोषजनक जेल आचरण, बंदी की वृद्धावस्था तथा अपरिहार 11 वर्ष 03 माह 08 दिन एवं सपरिहार 14 वर्ष 01 माह 20 दिन की भोगी गयी सजा, बंदी के 04 सहअभियुक्तों में से 03 सहअभियुक्तों की मृत्यु हो जाने व 01 सहअभियुक्त दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने का कोई ठोस एवं तथ्यात्मक आधार अंकित नहीं किए जाने तथा दयायाचिका समिति द्वारा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-23/2024/274(1)/22-2-2024 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात।
3- पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
5- नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज को क्रिमिनल मिस0 रिट पिटीशन सं0-15828/2023 गजराज सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश 10.10.2023 एवं कन्टेम्पट अप्लीकेशन (सिविल) नं0-9356/2023 गजराज सिंह बनाम श्री संजय प्रसाद में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.01.2024 के सन्दर्भ में।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
8- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
9- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in